FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 06/08/2018 17:15 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	218
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/08/2018 **Time (समय):** 15:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 06/08/2018 16:19 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): नगर निगम अम्बाला शहर, अम्बाला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री सुभाष चन्द उप पुलिस अधीक्षक

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1963 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**थाना एस वी बी अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**थाना एस वी बी अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	डी.के. मंगला एम.ई. अम्बाला			1. नगर निगम,अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA
2	सुरेन्द्र वर्मा भवन निरीक्षक			1. नगर निगम अम्बाला,अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA
3	दर्शन लाल भवन निरीक्षक			1. भवन निरीक्षक,अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल लेख जैल है- सेवा में,प्रबंधक अफसर,थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,अम्बाला मण्डल, अम्बाला।श्री मान जी,निवेदन है कि जांच क्रमांक 08 दिनांक 31.12.2013, अम्बाला जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के कार्यालय के क्रमांक 52/65/2013-1, चौ0 (II) दिनांक 23.12.2013 व महानिदेशक, राज्य चौकसी विभाग, हरियाणा, पचंकूला के कार्यालय के पृ0क्रमांक 38/आई-5/रा0चौ0ब्यूरो (ह0) दिनांक 01.01.2014 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर इस मण्डल में पड़ताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें लगाये गये आरोप न0 1 से 3 आरोपो के सम्बंध में पड़ताल की जानी थी। जो यह आरोप न0 1 व 3 में दर्शाया गया था कि "सुरेन्द्र कुमार वर्मा, दर्शन सिंह, भवन निरीक्षक व श्री डी0 के0 मंगला, एम0 ई0 प्लाट धारकों से 15000/-रूपये से 30000/- रू0 तक की भारी रिश्वत की राशि लेकर जग्गी कालोनी नजदीक सुर्या हाई स्कूल, जलबेडा रोड, सोनिया कालोनी नाले के पास नजदीक विष्णु बिहार, अम्बाला शहर इत्यादि अनप्रवूड कालोनियों के प्लाट धारको से साज-बाज होकर कानून को ताक पर रखकर नक्शें पास किये जा रहे है और बिना नक्शों को पास किये ही कोठीयां बनाई जा रही है। जिससे सरकार को लाखों रूपये का राजस्व का नुक्सान हो रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002 में प्लाट न0 9 आशा सिंह गार्डन, फेस-2 के प्लाट मालिक से नगर परिषद, अम्बाला के तत्कालीन कर्मचारी/अधिकारियों ने साजबाज होकर नक्शा पास कर दिया था, परन्तु 2012 में उपरोक्त प्लाट के साथ लगते प्लाट 12 के मालिक श्री प्रेम कुमार सैणी से आशा सिंह गार्डन, अम्बाला शहर मे स्थित उपरोक्त प्लाट का नक्शा पास करने की फीस 23,798/-रू0 दिनांक 07.03.2012 को जमा करवाने उपरांत मकान का नक्शा पास कर दिया जिस सम्बन्ध में उक्त दोनो भवन निरीक्षकों ने प्रेम कुमार सैणी से 15000/- रू0 रिश्वत की मांग की थी लेकिन प्रेम सिंह द्वारा यह राशि देने से इन्कार करने पर दिनांक 04.09.2012 को ही ओवर राईटींग करके स्वीकृत नक्शे को अस्वीकृत करना दिखाया गया। प्लाट मालिक ने यह मामला उपायुक्त के पास उठाया तो श्री डी0 के0 मंगला तत्कालीन एम0 ई0 द्वारा प्रेम कुमार सैणी से नक्शा पास करने की ऐवज में अपने लिए व उच्च अधिकारियों के लिए मु0 30000/- रू0 रिश्वत की मांग की और रिश्वत न मिलने पर नक्शा पास नही होने दिया। जिस पर उक्त आरोप जांच से पाया गया कि नगर निगम, अम्बाला के कर्मचारीयों/अधिकारीयों द्वारा जग्गी कालोनी नज़दीक सुर्या हाई स्कूल, जलबेडा रोड, सोनिया कालोनी नाले के पास नज़दीक विष्णु विहार, अम्बाला शहर आदि अनअपरूवड कालोनीयों के सम्बध में पत्र दिनांक 11.04.2014 के अनुसार जग्गी कालोनी के विरूद्व दिनांक 11.07.2011 व दिनांक 06.07.2012 को तोडफोड की कार्यवाही की गई। पुलिस विभाग को प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतू दिनांक 20.06.2012 को पत्र लिखा। इन कालोनियो मे नगर निगम अम्बाला द्वारा सभी जन सुविधाए उपलब्ध करवाई जा चुकी है और विष्णु विहार नाले के पास अम्बाला शहर की कालोनी भी बहुत पुरानी व विकसित तसदीक हुई है। जांच रिपोर्ट से पाया गया कि नगर निगम के कनिष्ठ अभियन्ता और भवन निरीक्षक, सचिव, कार्यकारी अधिकारी, द्वारा अवैध/अनपरूवड कॉलोनियो मे अवैध निर्माण रोकने बारे समय रहते कोई भी ठोस कार्यवाही नही की गई। इस सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला के पत्र दिनांक 15.02.2018 के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। श्री डी0के0 मंगला तत्कालीन एम0ई0, श्री सुरेन्द्र वर्मा व दर्शन लाल, भवन निरीक्षक के द्वारा वर्ष 2010 से लेकर 2012 तक जग्गी कॉलोनी जग्गी गार्डन, आशा सिंह गार्डन, सूर्य हाई स्कूल जलबेड़ा रोड़, सोनिया कॉलोनी, अम्बाला में 264 नक्शे स्वीकृत किये गये। लेकिन इन कालोनियो में जिन नक्शों के खसरा नम्बर नगर निगम कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नियमित कालोनी खसरा नम्बर से मेल खाने नही पाये गये। इस प्रकार श्री डी0के0 मंगला तत्कालीन एम0ई0, श्री सुरेन्द्र वर्मा व दर्शन लाल, भवन निरीक्षक के द्वारा वर्ष 2010 से लेकर 2012 तक जग्गी कॉलोनी ,जग्गी गार्डन, आशा सिंह गार्डन, सूर्य हाई स्कूल, जलबेड़ा रोड़, सोनिया कॉलोनी, अम्बाला में स्वीकृत किये गये 264 नक्शो में से उपरोक्त 13 नक्शे नियमों को ताक पर रखकर अवैध कालोनियों के स्वीकृत करके अपने पद का दुरूप्योग किया। जिस कारण तत्कालीन सचिव व कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अम्बाला, श्री डी0के0 मंगला तत्कालीन एम0ई0, श्री सुरेन्द्र वर्मा व दर्शन लाल, भवन निरीक्षक के विरूद्ध धारा 13 (1) डी पी0सी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया था और इस मामले में यदि किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी की मिलीभगत पाई जाये तो उसको भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त आशा सिह गार्डन मे प्लाट न0 12 प्रलेख न0 9427 दिनांक 0.2.2012 को श्रीमति सुनीता जैन पत्नी श्री रमेश कुमार वासी म.न. 18 न्यू कचंघर, अम्बाला शहर से श्री प्रेम कुमार द्वारा खरीद किया गया था। इस प्लाट पर मकान बनाने हेतू नक्शा पास करवाने के लिए दिनांक 07.03.2012 को नगर निगम अम्बाला में श्री प्रेम कुमार द्वारा आवेदन किया था। जिसकी सरकारी फीस उसने 23,798 रूप्ये बजरिया रसीद बही संख्या 415 क्रमांक सं0 87 के अनुसार जमा करवानी पाई गई। इस प्लॉट पर भवन बनाने का नक्शा नगर निगम के अधिकारियो/कर्मचारियो की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2012, 31.07.2012, व 01.09.2012 के अनुसार उपरोक्त नक्शा

दिनांक 04.09.2012 को अस्वीकृत किया गया था क्योंकि इस रिपोर्ट में यह प्लाट सरकार से बिना अनुमोदित कालोनी में दर्शाया गया था। इसके पश्चात श्री प्रेमकुमार द्वारा इस मामले की शिकायत उपायुक्त, अम्बाला को ऑन लाईन हर समाधान डाट कॉम पर की गई थी। उपायुक्त द्वारा नक्शा पास करने बारे नगरपालिका अधिकारियो को उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे। सैक्शन ऑफिसर/ऑडिटर, नगरपिलका द्वारा नक्शा पास करने बारे पूर्ण जांच करके अपनी रिपोर्ट अधिकारियो को प्रस्तुत की थी। जिसमें भवन निरीक्षक दर्शन सिंह व सुरेन्द्र कुमार वर्मा को नक्शा पास ना करने बारे लापरवाही पाई गई थी और उसका दिनांक 30.11.2013 को श्री प्रेम कुमार के भवन का नक्शा पास कर दिया गया था। यह प्लाट नं. 12 जिसका खसरा नं 37/8 है। जो अनुमोदित कालोनी की सूची मे आतां है। आशा सिंह गार्डन जिसमे प्रेम सिंह का प्लॉट है वह भी अनुमोदित कोलोनी मे आता था। कार्यालय नगर निगम, अम्बाला से पत्र दिनांक 29.12.2017 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आयुक्त नगर निगम, अम्बाला द्वारा दिनांक 30.11.2013 को श्री सुरेन्द्र वर्मा व दर्शन सिहं, भवन निरीक्षक को चार्जशीट करने के आदेश दिये थे और साथ ही संयुक्त आयुक्त नगर निगम, अम्बाला द्वारा दिनांक 03.12.2013 को चार्जशीट जारी करने बारे कार्यकारी अधिकारी नगर निगम अम्बाला को मार्क की गई थी लेकिन उसके बाद तत्कालीन डीलिंग हैण्ड श्री प्रदीप भण्डारी द्वारा फाईल कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अम्बाला को प्रस्तुत नहीं की गई। जिस बारे तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी मनिन्द्र सिहं के कथन अनुसार उसने चार्जशीट की फाईल दिनांक 28.11.2013 को तत्कालीन आयुक्त नगर निगम, अम्बाला को भेज दी थी उसके पश्चात फाईल उसे प्राप्त नही हुई। सम्बंधित अधिकारी के सम्मुख फाईल पेश न करने के सम्बंध मे संयुक्त आयुक्त, नगर निगम अम्बाला द्वारा पत्र दिनांक 29.12.2017 अुनसार तत्कालीन डीलिंग हैण्ड प्रदीप भण्डारी को भवन निरीक्षकों की चार्जशीट फाईल सम्बंधित अधिकारी को प्रस्तुत न करने का जिम्मेवार माना और उक्त कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यावाही अमल में लाई जा रही है और यह कर्मचारी दिनांक 09.12.2013 से स्वेच्छा से विभाग से अनुपस्थित चल रहा है। श्री सुरेन्द्र वर्मा, तत्कालीन भवन निरीक्षक दिनांक 31.10.2017 को नगर निगम, पंचकुला से सेवानिवृत हो चुका है व श्री दर्शन लाल, भवन निरीक्षक वर्तमान में नगर निगम, पंचकुला में कार्यरत है। संयुक्त आयुक्त नगर निगम, अम्बाला नें अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि श्री डी.के. मंगला, नगर अभियन्ता व श्री सुरेन्द्र वर्मा, भवन निरीक्षक की पदोन्नति के समय उनके मुख्यालय द्वारा उनसे कोई टिप्पणी या सूचना नहीं मागी गई थी बल्कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को पदोन्नित किया गया था। संयुक्त आयुक्त नगर निगम, अम्बाला द्वारा एक पत्र निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा पचंकुला को लिखा गया है जिसके अनुसार सरकार उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चार्जशीट आदेश जारी करने के लिये सक्षम है। जांच से पाया गया कि तत्कालीन डीलिंग हैण्ड प्रदीप भण्डारी, भवन निरीक्षक इस लापरवाही के लिये जिम्मेवार है। जिसके विरूद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त इस संम्बंध मे आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला का पत्र दिनांक 13.01.2018 प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार सुरेन्द्र वर्मा के पदोन्नित के संबन्ध मे निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला द्वारा दिनांक 02.09.2016 को रिपोर्ट मांगी गई थी। जिस सम्बंध मे सुरेन्द्र कुमार, सहायक, नगर निगम, अम्बाला ने तथ्य छुपाकर झुठी रिपोर्ट अधिकारियो को प्रस्तुत की थी। जिस कारण सुरेन्द्र वर्मा को भवन निरीक्षक के पद से नगर निगम अभियन्ता के पद पर विभागीय जांच लम्बित होते हुए नाजायज पदोन्ति प्राप्त की गई है और उस समय सुरेन्द्र वर्मा भवन निरीक्षक, भवन शाखा, नगर निगम, अम्बाला का ईन्चार्ज था व सुरेन्द्र कुमार, सहायक, नगर निगम, अम्बाला सुरेन्द्र वर्मा, भवन निरिक्षक, भवन शाखा, नगर निगम, अम्बाला के अधीन कार्यरत था जिस कारण इन दोनों ने आपस मे मिलकर तथ्य छुपाकर झुठी रिपोर्ट अधिकारियां को प्रस्तुत की गई तथा सुरेन्द्र वर्मा को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है इस मामले मे सुरेन्द्र कुमार, सहायक, नगर निगम, अम्बाला, सुरेन्द्र वर्मा भवन निरीक्षक, भवन शाखा, नगर निगम अम्बाला के विरुध धारा 218, 120 बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था। तफतीश के दौरान यदि किसी अन्य की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त श्री डी0के0 मंगला तत्कालीन एम0ई0, श्री सुरेन्द्र वर्मा व दर्शन लाल भवन निरीक्षक के पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग चण्डीगढ़ के पत्र दिनांक 06.03.2018 के अनुसार डी0के0 मंगला, एम0ई की पदोन्नति सरकार द्वारा व संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला के पृ0 दिनांक 29.12.2017 के अनुसार भवन निरीक्षक दर्शन लाल व सुरेन्द्र वर्मा की पदोन्नति निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय विभाग, पंचकुला द्वारा करनी पाई गई है। इस प्रकार श्री डी0के0 मंगला तत्कालीन एम0ई0, व दर्शन सिंह, भवन निरीक्षक द्वारा उपरोक्त प्लॉट को सरकार से बिना अनुमोदित कॉलोनी मे दर्शाकर नक्शा अस्वीकृत करके अपने कर्तव्यो मे लापरवाही की जानी पाई गई है। इसलिए इनके विरूद्व हरियाणा सिविल सेवाएं नियमावली, 1987 (दण्ड एंव अपील)

के नियम-7 के तहत विभागीय कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया था। श्री सुरेन्द्र वर्मा दिनांक 31.10.2017 को निगर निगम, पंचकूला से सेवानिवृत हो चुका है। इसलिए इसके विरूद्व हरियाणा सिविल सेवाएं नियमावली, 1987 (दण्ड एंव अपील) के नियम 2.2 बी. के तहत विभागीय कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया था। इसके उपरांत महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 3934/रा0चौ0ब्यूरो (ह0) दिनांक 02.04..2018 अनुसार जांच रिपोर्ट सरकार को भिजवाई। सरकार से अनुमोदन उपरांत यह जाचं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ के पृष्ठांन क्रमांक 52/65/2013-2, चौ0 (II) दिनांक 23.07.2018 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौक्सी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला पृष्ठांकन क्रमांक 10557/आई-3/रा0चौ0ब्यूरो (ह0) दिनांक 25.07.2018 के अनुसार दोषियों के विरूद्व अभियोग दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई है। अतः श्री डी0के0 मंगला तत्कालीन एम0ई0, श्री सुरेन्द्र वर्मा व दर्शन लाल भवन निरीक्षक के द्वारा वर्ष 2010 से लेकर 2012 तक जग्गी कॉलोनी जग्गी गार्डन, आशा सिंह गार्डन, सूर्य हाई स्कूल जलबेड़ा रोड़, सोनिया कॉलोनी अम्बाला में स्वीकृत किये गये 264 नक्शे मे से उपरोक्त 13 नक्शे नियमों को ताक पर रखकर अवैध कालोनियों के स्वीकृत करके अपने पद का दुरूप्रयोग करके प्लाट/भवन मालिकों को अनुचित लाभ पहुचाने पर सचिव व कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अम्बाला, श्री डी0के0 मंगला तत्कालीन एम0ई0, श्री सुरेन्द्र वर्मा व दर्शन लाल, भवन निरीक्षक के विरूद्व धारा 13 (1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा 120-बी. भा.द.स. व सुरेन्द्र वर्मा के भवन निरीक्षक के पद से नगर निगम अभियन्ता के पद पर पदोन्नित के संबन्ध मे निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला द्वारा दिनांक 02.09.2016 को मांगी गई रिपोर्ट के सम्बंध मे सुरेन्द्र कुमार, सहायक, नगर निगम, अम्बाला ने सुरेन्द्र वर्मा, भवन निरिक्षक, भवन शाखा, नगर निगम, अम्बाला से मिलीभगत करके सुरेन्द्र वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच लम्बित होते हुए तथ्य छुपाकर झुठी रिपोर्ट अधिकारियो को प्रस्तुत करने पर सुरेन्द्र वर्मा को नाजायज पदोन्नित प्राप्त करवाकर अनुचित लाभ पहुंचाने पर सुरेन्द्र कुमार, सहायक, नगर निगम, अम्बाला, सुरेन्द्र वर्मा भवन निरीक्षक, भवन शाखा, नगर निगम अम्बाला के विरुध धारा 218, 120 बी भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर करके मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड (कुल 7 फाईले जांच क्रमांक 08 दिनांक 31.12.2013, अम्बाला मय अन्तिम रिपोर्ट फाईल) बराये तफतीश निजद निरीक्षक राजपाल, राज्य चौकसी ब्यूरो, कुरूक्षेत्र व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, अम्बाला व अन्य सम्बंधित उच्चाधिकारियों को भेजी जायें। अजः- कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला, मण्डल अम्बाला sd. Subhash Chand (सुभाष चन्द), ह.पु.से.उप पुलिस अधीक्षक,थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (ह),अम्बाला मंडल, अम्बाला। दिनांक 06.08.2018.at 03:40 PM.अज थाना –लिखित लेख उपरोकत बाजूर्म उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर मुताबिक रपट न. 5 समय 4.19पी.एम. दिनांक 06.08.18. अभियोगांक 9 दिनांक 06.08.18 धारा 218, 120-बी भा0द0स0 व 13(1)डी. पी.सी. एक्ट 1988 दर्ज करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट बादस्त सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र के ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मय रिकार्ड आईन्दा तफतीश हेतू निजद निरीक्षक राजपाल रा.चौ.ब्यू., उप केन्द्र कुरुक्षेत्र भेजा जा रहा है । प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भेजी जावेंगी । ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Raj Pal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 77HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sushil Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): 93HAP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1963				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1968				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1968				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)